233

357

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर

III/निगरानी/रीवा/भू.रा/2018/2189

श्रीमती सरमनिया विधवा पत्नी रामदास तिवारी साकिन पुरैना, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

2– श्रीमती गीता पुत्री रामदास तिवारी साकिन पुरैना, हाल मुकाम करौदहा, तहसील सिरमौ, जिला रीवा (म0प्र0)

3– श्रीमती सरोज पुत्री रामदास पत्नी छोटेलाल द्विवेदी, साकिन पुरैना, हाल मुकाम हिनौता, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0)

4– श्रीमती शकुन्तला पुत्री रामदास पत्नी रमेश प्रसाद, साकिन पुरैना, हाल मुकाम बीड़ा, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0)

5– श्रीमती सावित्री पुत्री रामदास पत्नी राजेन्द्र प्रसाद, साकिन पुरैना, हाल मुकाम घुइसा, तहसील अमरपाटन, जिला सतना (म0प्र0)

————आवेदकगण/निगराकार

बनाम

1– राजकुमार तिवारी तनय रामायण तिवारी,

2– अनिल तिवारी तनय रसायन तिवारी

3– अरूण तिवारी तनय रसायन तिवारी

सभी तीनो निवासी ग्राम पुरैना, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

4– श्रीमती श्यामकली पुत्री रामदास, पत्नी सनत कुमार पाठक, साकिन पुरैना, हाल मुकाम मझिगंवा, तहसील अमरपाटन, जिला सतना (म0प्र0)

5– श्रीमती रामकली पुत्री रामदास पत्नी धनेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, साकिन पुरैना, हाल मुकाम कसिहाई, तहसील सिरमौर, जिला रीवा (म0प्र0)

6– श्रीमती आशा पुत्री रामदास पत्नी शिवेन्द्र तिवारी, साकिन पुरैना, हाल मुकाम कंचनपुर, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

————अनावेदकगण/गैरनिगराकार

निगरानी विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा दिनांक 06/02/2018, कथित 27/01/18 एवं, 27/03/18 वावत् प्रकरण क0–33/अ–6/16–17
अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत है ।

2– यह कि अपीलीय न्यायालय में मौखिक साक्ष्य लेने का कोई विधान नही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बगैर किसी आवेदन के और बगैर किसी समुचित व पर्याप्त हेतुक के अनावेदक क0–1 ता 3 की मौखिक साक्ष्य लेकर भारी भूल की है ।

3– यह कि विचारण न्यायालय का कार्य अपीलीय न्यायालय नही कर सकती और ऐसा किये जाने का विधान नही है परंतु विधि विरूद्ध रीति से तारीख 06/02/2018 को पेशी बढ़ जाने के बाद वाद में अनावेदक क0–1 ता 3 की मौखिक साक्ष्य लेकर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है ।

4– यह कि सामान्य बात है कि फरवरी के बाद मार्च महीना आता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने फरवरी के बाद जनवरी महीने की पेशी नियत कर दिया और ऐसी मौखिक साक्ष्य जिसे लेने का अधीनस्थ न्यायालयं को अधिकार ही नही था और ना ही साक्ष्य लिये जाने वावत् कोई आवेदन या अनुमति चाही गई हो फिर भी नये सिरे से विचारण न्यायालय की भॉति अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय मौखिक साक्ष्य लेकर भारी वैधानिक भूल की है ।

5– यह कि तारीख 22/03/18 को प्रार्थी आवेदिका/निगराकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा की गई अधिकार विहीन व विधि विरूद्ध कार्यवाही के वावत् न्यायालय की अधिकारिता व अनावेदक क0–1 ता 3 के अपील प्रकरण की प्रचलनीयता पर पुरजोर आपत्ति पेश किया और विधि का यह आज्ञापक उपबंध व व्यवस्था है कि जब कोई न्यायालय की अधिकारिता व कार्यवाही को लेकर गंभीर

(233)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R 2189-II/नि.ली./2018 जिला रीवा

सरमीना तिवारी विरूद्ध राजकुमार तिवारी

1	2	3
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री रजनीश मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील रामपुर बघे. के प्रकरण क्रमांक 33/अ.6/16-17 में पारित आदेश दिनांक 06-2-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16-4-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

उपायुक्त / प्रशासकार